हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–56/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 31) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 31

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 36 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''और उप–महापौर'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित शहरी स्थानीय निकायों के साथ–साथ पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, महौपार और उप–महापौर के निर्वाचन हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से संचालित करवाएं जाएंगे और विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, नगर निगम शिमला में महापौर और उप–महापौर के पद आरक्षित हैं। अतः अब अनिवार्य समझा गया है कि राज्य में अन्य शहरी स्थानीय निकायों के साथ–साथ पंचायती राज संस्थाओं की पद्धति पर, आरक्षण केवल महापौर के पद की दशा में ही लागू होगा और उप–महापौर के पद को आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 36 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

महेन्द्र सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख : ...., 2011.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 31 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of Section 36.—In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in sub-section (1), in first proviso, the words "and Deputy Mayor" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the analogy of Panchayati Raj Institutions, as well as Urban Local Bodies, constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the election of Mayor and Deputy Mayor are conducted directly according to the provisions of section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act 1994, and as per existing provisions, the reservation has to be given to the office of Mayor and Deputy Mayor in the Municipal Corporation, Shimla. Now, it has been considered essential that on the analogy of Panchayati Raj Institutions as well as other Urban Local Bodies in the State, the reservation should be applied only in the case of office of Mayor and office of Deputy Mayor should be kept out of the purview of reservation. Thus, it has been decided to amend section 36 of the Act *ibid* suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

MAHENDER SINGH,
Minister-in-Charge.

Dharamshala :

The......................., 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-